

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****EDUCATION DEPARTMENT****Notification**

The 15th December, 2005

**No. S. O. 99/H.A. 12/1999/Ss. 8 and 24/2005.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (V) of sub-section (2) of section 24 and clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001, in rule 8,—

(i) after sub-rule (1), the following note shall be added, namely:—

“ **Note**—Service of National/State awardees of aided schools for the purpose of calculation of pensionary benefits shall be counted upto the age of fifty eight years irrespective of extension in service beyond the age of superannuation.”;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added at the end, namely:—

“(4) The rate of dearness allowance payable to the pensioners shall be such as may be declared by the Government from time to time.”;

**R. S. GUJRAL,**  
Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government Haryana,  
Education Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2005

**संख्या का० आ० 99/ह०अ०12/1999/धा० 8 तथा 24/2005.**—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (V) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि), नियम, 2001, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन नियम, 2005, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2001 में, नियम 8 में,—

(i) उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“टिप्पण— पेंशनिक फायदे की संगणना के प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त विद्यालय के राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कारी की सेवा, अधिवर्षिता की आयु से आगे सेवा में वृद्धि का ध्यान रखते हुए अठावन वर्ष की आयु तक गिनी जाएगी।”

(ii) उप-नियम (3) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

“(4) पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ते की दर ऐसी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित की जाए।”

आर० एस० गुजराल,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग।